

## गुडईयर इंडिया लिमिटेड

(CIN: L25111HR1961PLC008578)

पंजीकृत कार्यालयः मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला फरीदाबाद)-121004, हरियाणा, भारत टेलीफोन: 0129-6611000, फैक्स: 0129-2305310

ईमेल:goodyearindia\_investorcell@goodyear.com, वेबसाईट: www.goodyear.co.in

## 60वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

- 1.एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि गुडईयर इंडिया लिमिटेड (''कम्पनी'') की 60वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 12 अगस्त, 2021 को 10.00 बजे पूर्वा. भारतीय मानक समय (आईएसटी) को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ अन्य आडियो विज्अल माध्यमों (''वीसी/ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत नियमों तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र नं. 14/2020 तिथि 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र नं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र नं. 20/2020 तिथि 05 मई, 2020 तथा परिपत्र नं. 02/2021 तिथि 13 जनवरी, 2021 (''एमसीए परिपत्र'') तथा भारतीय प्रतिभृति और विनियमन बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र नं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/पी/2020/79, तिथि 12 मई, 2020 तथा परिपत्र नं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी 2/ सीआईआर/पी/2021/11, तिथि 15 जनवरी, 2021 ("सेबी परिपत्र") के साथ पठित सेबी (सुचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के अनुपालन में आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।
- 2. एजीएम की सूचना तथा उस पर निदेशक मंडल तथा ऑडिटरों के रिपोर्ट के साथ-साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये उसमें अंकेक्षित वित्तीय विवरणों सहित 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट ईमेल द्वारा केवल ऐसे सभी सदस्यों को ही भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते एमसीए परिपत्र तथा सेबी परिपत्र के अनुसार कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास पंजीकत हैं । सदस्यगण केवल वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में शामिल तथा भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश तथा रिमोट ई-वोटिंग में भागीदारी अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी। एजीएम की यह सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट अर्थात at www.goodyear.co.in/investor-relations तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

## 3. ईमेल पते को पंजीकृत कराने/ अद्यतन कराने का तरीका:

- क) भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने कम्पनी में अपने ईमेल पते दर्ज नहीं कराये हैं, एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं/ अथवा रिमोट ई-बोटिंग के द्वारा मतदान करने के लिये लॉगिन विवरणों तथा बीसी/ ओएवीएम सुविधा द्वारा एजीएम में शामिल होने, ई-वोटिंग सहित, के लिये कम्पनी के ईमेल पते goodyearindia\_investorcell@goodyear.com पर अथवा आरटीए के पास srikant@skylinerta.com पर फोलियो नं., शेयरधारक का नाम तथा शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रंट तथा बैक), पैन (पैन काई की स्वत: सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार काई की स्वत: सत्यापित स्कैन की गई प्रति) उपलब्ध करा कर उसे प्राप्त कर सकते हैं।
- ख) डीमैट पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास अपने ई मेल पते पंजीकृत/ अद्यतन करा लें।

## 4. लाभांश प्राप्त करने के लिए मैंडेट पंजीकृत कराने का तरीका:

- क) भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस) अथवा अन्य किसी पद्धति द्वारा अपनी बैंक खाताओं में प्रत्यक्ष रूप से लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने मैंडेट अद्यतन नहीं कराये हैं, वे कम्पनी के ईमेल पत्ते goodyearindia investorcell@goodyear.com पर अथवा srikant@skylinerta.com पर आरटीए के पास एजीएम की सूचना के साथ संलग्न ईसीएस मैंडेट फार्म में वांछित विवरणों की स्कैन की गई प्रति भेजकर इलेक्ट्रानिक रूप से अपनी बैंक खाता में प्रत्यक्ष रूप से लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट पंजीकृत करा सकते हैं।
- ख) डीमैट पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट अद्यतन करा लें।
- 5. सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकों लाभांश के भूगतान तथा एजीएम के उद्देश्य से शुक्रवार, 06 अगस्त, 2021 से गुरुवार, 12 अगस्त, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे। एजीएम में, यदि स्वीकृत होता है, तो लाभांश का भूगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम 05 अगस्त, 2021 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे।
- 6. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार 01 अप्रैल, 2020 से लाभांश आय सदस्यों के लिए कर-योग्य होगा तथा कम्पनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को प्रदत्त लाभांश से स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करना होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए सदस्यों से आग्रह है कि वित्त अधिनियम, 2020 तक उसके संशोधनों को देखें । सदस्यों से आग्रह है कि कम्पनी/ उसके आरटीए के पास (भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में) goodyearindia\_investorcell@goodyear.com पर अथवा srikant@skylinerta.com पर ईमेल भेजकर तथा डिपॉजिटरी पार्टिस्पैन्ट्स के पास (डीमैट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में) अपने पैन को अद्यतन करा लें। अधिक विवरणों के लिए कृपया एजीएम की सूचना में दी गई टिप्पणियों को देखें।
- 7. यदि कम्पनी बैंक खाता के विवरणों की अनुपलब्धता के कारण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में किसी भी सदस्य को लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ होती है तो कम्पनी ऐसे शेयरधारकों को डाक द्वारा लाभांश वारंट प्रेषित करेगी।

गुडईयर इंडिया लिमिटेड के लिये हस्ता./-

सोनाली खन्ना

हेड-लीगल, अनुपालन एवं कम्पनी सचिव

तिथि: 13 जुलाई,2021 स्थान: नई दिल्ली

